

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भोलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 189 /2021

उनवान

- 1- देवकरण पिता छीतर तेली निवासी शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 2- नारायण पिता हीरलाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 3- रामलाल पिता छगनलाल धाकड़ निवासी शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 4- महावीर पिता हीरलाल तेली निवासी शाहपुरा जिला भोलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- परमानन्द पिता गोकल साधु निवासी कोठार मोहल्ला माथुर सा की हवेली शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 2- गोपाल पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर, शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 3- कनीराम पिता रामरतन धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 4- लादू पिता सूजमल धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 5- माधु पिता हजारी कहार निवासी उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 6- रामपाल पिता रूपा कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 7- मोडू पिता सूरजमल धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 8- मु. शांति पत्नी सोहन लाल धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भोलवाड़ा
- 9-12 मु.टीना, मु. पायल, मु. अंजली पिता सोहनलाल धाकड़ निवासी धाकड़ मोहल्ला कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा जिला भोलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चंद नौलखा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 10/10/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भोलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3600 रकबा 0.83 है0, 3599 रकबा 1.01 है0 कुल किता 2 रकबा 1.84 हैक्टेयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 6 लगायत 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1, 3, 4, 5 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 1.84 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्या पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा जिला भोलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भोलवाड़ा) राज.